न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या :- 08/2014

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
1. राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी फलोदी जिला रसद कार्यालय जोधपुर		1. लालदीन पुत्र ईस्माईल खां, जाति तेली मालिक ढाबा केबिन हाजी मार्केट नागौर रोड़, फलोदी, जिला-जोधपुर 2. पन्नालाल पुत्र जीवन लाल सुथार नागौर रोड़, फलोदी, जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति:- 1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (विभागीय पेरोकार) उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री देवीलाल आर.व्यास उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 19.06.2019

राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी फलोदी, जिला रसद कार्यालय जोधपुर की ओर से एक इस्तगासा अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवंप्रदाय विनियमन) आदेश, 2000 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के पेश किया जिसमें व्यक्त किया कि दिनांक 01.12.2005 को अवैध गैस सिलेण्डर के व्यापार की सूचना मिलने पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अप्रार्थी के ढाबा/केबिन की तथा अप्रार्थी संख्या 1 के मकान की तलाशी लेने पर अप्रार्थी लालदीन के मकान में छुपाए हुए 7 गैस सिलेण्डर इण्डेन के 14.2 किग्रा. भरे हुए तथा एक गैस सिलेण्डर 5 किग्रा. भरा हुआ तथा अप्रार्थी संख्या 2 के मकान में छुपाए हुए 6 खाली सिलेण्डर इण्डेन के प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 2 से पूछताछ करने पर बताया कि अप्रार्थी संख्या 1 लालदीन के पुत्र गुलाब नबी ने दौराने चैकिंग मेरे घर पर रख कर चला गया जो सिलेण्डर मेरे नहीं है। अप्रार्थीगण से पुछताछ करने पर इससे संबंधित कोई वैद्य कागजात नहीं पाए गए और न ही कागजात मांगने पर प्रस्तुत किये गये। प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अप्रार्थी 14.2 किग्रा. गैस सिलेण्डर में से 5 किग्रा. के सिलेण्डर में स्थानान्तरण कर उनका अवैध रूप से संग्रहण कर कालाबाजारी से विक्रय किया जाता है जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय का

विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड संख्या 3,4,5 का स्पष्ट उल्लंघन होने से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तसुदा गैस सिलेण्डर को राज्यसात किये जाने का निवेदन किया जाने पर इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 01/2006 दर्ज कर सुनवाई की जाकर उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर गैस सिलण्डरों को राज्यसात किये जाने का दिनांक 22.08.2008 को निर्णय किया गया। इसके पश्चात् उक्त निर्णय में संशोधन किया गया कि- ''अप्रार्थी ने अपना कोई लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया, न ही अपने कथनों की ताईद में किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये'' के स्थान पर ''अप्रार्थी ने अपने लिखित जवाब व अपने कथनों की ताईद में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये'' पढा जावें। उक्त आदेश मूल आदेश का भाग समझा जावे। का संशोधित आदेश पारित किया गया।

तत्पश्चात् अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 2 जोधपुर महानगर में अपील करने पर फौजदारी अपील संख्या 2/2009 (335/2008) अनवान लालदीन वगैरह बनाम राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी फलोदी जिला रसद कार्यालय जोधपुर दर्ज कर सुनवाई की जाकर प्रार्थीगणों की अपील स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.06.2014 द्वारा इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 01/2006 में दिये निर्णय दिनांक 22.08.2008 को अपास्त किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड कर इस न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु भिजवाया गया। प्रकरण इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दिनांक 30.06.2014 को दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी की ओर से बहस करते हुए प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय द्वितीय जोधपुर श्री पुष्पराज पालीवाल ने बताया कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहण व काला बाजारी हेतु रखे हुए थे जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3, 4, 5 का स्पष्ट उल्लंघन होने से जब्त किये गये थे। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों को राज्यसात करने का निवेदन किया गया है।

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री देवीलाल आर.व्यास ने अपनी बहस में कथन किया कि फलोदी गैस एजेन्सी की दुकान समय पर नहीं खुलती ऐसी स्थिति में खाली सिलेण्डर जो लोग लेकर आते है उसको वहीं आस-पड़ौस में जान पहचान वालों के यहां रख जाते है ताकि बार बार टैक्सी का भाड़ा नहीं लगे और सिलेण्डर बार बार लाने ले जाने की तकलीफ नहीं हो। जो गैस सिलेण्डर खाली जब्त किये गये वे रिफलिंग के लिए रखे हुए थे। जब्त किये गये गैस सिलेण्डरों की फर्द जब्ती से किसी प्रकार की काला बाजारी करना साबित नहीं

होता है। अत: प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाकर उक्त जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों को पुन: अप्रार्थीगण को सुपुर्द करने का निवेदन किया गया है।

हमने विभागीय पेरोकार एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण की प्रकरण में पुन: बहस सुनी व बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में उक्त जब्तसुदा गैस सिलेण्डर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मकान में पाये गये। कोई भी गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ता स्वयं के गैस सिलेण्डर के अलावा किसी दूसरे उपभोक्ता का गैस सिलेण्डर अपने यहाँ नहीं रख सकता है जबकि उक्त सिलेण्डर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के यहाँ रखे हुए पाये गये है जिससे स्पष्ट है कि उक्त गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहण व काला बाजारी हेतु रखे हुए थे जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3, 4, 5 का स्पष्ट उल्लंघन होने से जब्त किये गये थे। अवैध रूप से संग्रहण किये गये गैस सिलेण्डरों की जब्ती की कार्यवाही होती है इसलिए प्रकरण में जब्ती की कार्यवाही की गई। मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत होती है जिनकी सुनवाई न्यायिक कोर्ट में होती है जो इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा घरेलु गैस का संग्रहण कालाबाजारी हेतु किया गया है जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3, 4, 5 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों को राज्यसात करने का आदेश पारित करना न्यायहित में उचित समझते है।

उपरोक्त निष्कर्षोपरान्त अप्रार्थी से जब्तसुदा उक्त इण्डेन गैस सिलेण्डरों को राज्यसात किये जाने के आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी द्वितीय,जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे जब्तसुदा उक्त इण्डेन गैस सिलेण्डर के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निस्तारण करे तथा प्राप्त राशि राज्यकोष में जमा कराये। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी द्वितीय, जोधपुर को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर